न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 51 / 2020

बउनवानः—

1. हरीश कुमार पुत्र रामकुवार जाति मीणा निवासी हरसोली तह0 मांगरोल जिला बारां
2. शिवांश कुमार पुत्र रामकुवार जाति मीणा गोविन्द निवासी हरसोली तह0 मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0 एक्ट

वकील वादी : श्री लवकुल गौड

दायरा दिनांकः 24.07.2020 निर्णय दिनांक : 23.11.2020

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के शामलाति खाते की आराजी खाता संख्या 44 खसरा नं0 147 / 565 रकबा 1.55 है0 ग्राम हरसोली में स्थित है वादी कम 1 का वास्तविक नाम हरीश कुमार पुत्र रामकुवार है लेकिन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वादी कम 1 का नाम हरिशंकर दर्ज हो रहा है तथा वादी कम 2 का वास्तविक नाम शिवांश कुमार है तथा वयस्क है लेकिन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वादी कम 2 का नाम नाबा0 लोकेश पुत्र रामकुवार दर्ज हो रहा है। वादीगण के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी में वादीगण का नाम अलग दर्ज होने तथा राजस्व रेकार्ड में [illegible] समस्या का सामना करना पड रहा है। इसलिए वादी कम 1 राजस्व रेकार्ड में अप[illegible] के स्थान पर हरीश कुमार पुत्र रामकुंवार व वादी कम 2 अपना नाम राज[illegible] पुत्र रामकुवार के स्[illegible] शिवांश कुमार पत्र रामकुंवार दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है। अतः वादी की आराजी खाता संख्या 44 खसरा नं0 147 / 565 रकबा 1.55 है0 ग्राम हरसोली की राजस्व जमाबंदी में वादी कम 1 का नाम हरिशंकर पुत्र रामकुंवार के स्थान पर हरीश कुमार पुत्र रामकुंवार व वादी कम 2 का नाम लोकश पुत्र रामकुंवार के स्थान पर शिवांश पुत्र रामकुंवार दर्ज करने तथा वादी कम 2 को राजस्व रेकार्ड में नाबा0 से बालिग दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:53 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 24.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2020/329 दिनांक 29.07.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम हरसोली की आराजी खाता संख्या 44 खसरा नं0 147/565 रकबा 1.55 है0 में हरीश कुमार पुत्र रामकुंवार व नाबालिग लोकेश पुत्र रामकुंवार के नाम से दर्ज है। ग्राम हरसोली की जमाबंदी 2072–2075 में नामा0 संख्या 285 दिनांक 19.04.2016 के वक्त से ही हरीश कुमार पुत्र रामकुवार व नाबालिग लोकेश कुमार पुत्र रामकुंवार के नाम से नामान्तकरण खोला गया है वादीगण के समस्त दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादी कम. 1 का नाम हरीश कुमार पुत्र रामकुवार व वादी कम 2 का नाम शिवांश पुत्र रामकुंवार दर्ज है तथा मुताबिक अंक तालिका सेकेण्ड्री वादी कम 2 की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने से बालिग है जिसके आधार पर वादी कम 1 का नाम हरीश कुमार पुत्र रामकुंवार व वादी कम 2 का नाम बालिग शिवांश पुत्र रामकुवार जाति मीणा निवासी हरसोली दर्ज किया जाना उचित होगा।

पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील प्रार्थी की दिनांक 23.11.2020 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अंक तालिका सेकेण्ड्री के आधार पर वादी कम 1 का नाम हरीश कुमार पुत्र रामकुंवार व वादी कम 2 का नाम शिवांश पुत्र रामकुंवार जाति मीणा बालिग का सत्यापन होता है। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 23.11.2020 को अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम हरसोली की आराजी खाता संख्या 44 खसरा नं0 147/565 रकबा 1.5 है0 को राजस्व जमाबंदी में दर्ज हरिशंकर पुत्र रामकुवार व नाबालिग लोकेश पुत्र रामकुंवार जाति मीणा निवासी हरसोली को हजफ किया जाकर वादी कम 1 का नाम हरीश कुमार पुत्र रामकुंवार व वादी कम 2 का नाम शिवांश कुमार पुत्र रामकुंवार जाति मीणा निवासी हरसोली दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:53 IST
Reason: SelfAttested